Helpline 1064   94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में पुलिस थाना बदनोर का हैड कानिस्टेबल 3 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *07 मार्च, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाड़ा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये कैलाश चंद हैड कानिस्टेबल, पुलिस बदनोर, जिला भीलवाड़ा को परिवादी से 3 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण में आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की एवज में अनुसंधान अधिकारी की कैलाश चंद हैड कानिस्टेबल, पुलिस बदनोर, जिला भीलवाड़ा द्वारा 5 हजार रूपये रिश्वत राशि ली जा चुकी है तथा और रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की भीलवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह चारण** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक नरसीलाल मीणा** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये कैलाश चंद पुत्र श्री उंकार लाल शर्मा निवासी गांव दोवनी, थाना कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ हाल हैड कानिस्टेबल, पुलिस बदनोर, जिला भीलवाड़ा को परिवादी से **3 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी हैड कानिस्टेबल द्वारा परिवादी से पहले से 5 हजार रुपये तथा शिकायत के सत्यापन के दौरान 1 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।